संख्या–५५१६ /V/ श0वि0–आ0–2004–105(आ0)/2001

प्रेषक,

डा0एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

शहरी विकास/आवास अनुभाग देहरादून: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2004

विषय: वित्तीय वर्ष 2004–2005 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों के संगठित विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तरकाशी हेतु स्वीकृत सहायता/अनुदान तथा उसके सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या–14011/1 / 2003 – 2004/UD- I, दिनांक 10 फरवरी, 2004 के क्रम में शासनादेश सं0–1434/ श0वि0–आ0–2004–105(आ0)/2001, दिनांक 25 मार्च, 2004 द्वारा उत्तरकाशी नगर की संगठित विकास योजना के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी को वित्तीय वर्ष 2003–2004 में केन्द्रांश के रूप में रू0 24.00 लाख एवं राज्यांश के रूप में रू0 16.00 लाख अर्थात कुल 40.00 लाख(रू0 चालीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। चूंकि जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अपने पत्र दिनांक 6–4–2004 के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त शासनादेश वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत प्राप्त होने के कारण धनराशि रू0 40.00 लाख का आहरण नहीं किया जा सका। अतः उत्तरकाशी की संगठित विकास योजना हेतु उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 25मार्च,2004 को निरस्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2004–05 में केन्द्रांश के रूप में 24.00 लाख एवं राज्यांश के रूप में 16.00 लाख अर्थात कुल 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी और सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा "रिवाल्विंग फण्ड" की स्थापना पर वित्त की सहमति प्राप्त कर लेने के उपरान्त तुरन्त आहरित कर उसे रिवाल्विंग फण्ड में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

(2) स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है और इसके आहरण के पूर्व पुनः जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त धनराशि का विगत वर्ष में कोषागार से आहरण नहीं किया गया है।

(3) व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स,टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों अथवा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरें एवं मितव्ययता संबंधी आदेशों एवं तद्विषयक शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन

किया जायेगा।

(4) परियोजना पर तकनीकी स्वीकृति नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल,देहरादून से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। जो कि इस योजना हेतु राज्य स्तर पर समन्वय अभिकरण है।

(5) स्थानीय निकाय द्वारा शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत संगठित विकास योजना की पुनरीक्षित दिशा निर्देश तथा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। उनके द्वारा त्रैमासिक प्रगति आख्या निर्धारित प्रपत्र पर प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना होगा।

(6) संगठित विकास योजना की दिशा–निर्देशानुसार केन्द्रांश, राज्यांश वित्तीय संस्था/आन्तरिक श्रोतों द्वारा प्राप्त धनराशि का आहरण "रिवाल्विंग फण्ड" में जमा करना होगा तथा योजनावार इसका अलग लेखा–जोखा रखना होगा। प्राप्त केन्द्र एवं राज्य की अनुदान राशि का 75 प्रतिशत अंश "रिवाल्विंग फण्ड" में वापस करना होगा जिसका आत्मपोषित अवसंरचना के विकास कार्य हेतु उपयोग में लाया जा सके "रिवाल्विंग फण्ड" को सुदृढ़ कर बढ़ाना स्थानीय निकाय का दायित्व होगा।

(7) अनुदान राशि स्टाफ/प्रशासनिक कार्य पर व्यय नहीं किया जायेगा, न ही स्वीकृत कार्य को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन पर व्यय किया जायेगा।

(8) स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त अनुदान राशि के सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(9) सम्बन्धित निकाय द्वारा अपने नगर की विकास से सम्बन्धित रणनीति का प्रस्ताव दिशा–निर्देशों के प्राविधान अनुसार एक माह में तैयार कर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना होगा।

2– उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष–2004–2005 के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–04–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (आई0डी0एस0 एम0टी0)–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 1120/वित्त अनुभाग–3/ 2004, दिनांक 24 सितम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

संख्या–५५१८/(1)/श0वि0–आ0–2004–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
(2) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
(3) सचिव, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
(4) मुख्य नियोजन, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार, विकास भवन, नई दिल्ली।
(5) कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तरांचल, देहरादून।
(7) उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।
(8) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, देहरादून।
(9) श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव, बजट सेल/वित्त, उत्तरांचल शासन।
(10) निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल, देहरादून।
(11) निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
(12) प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
(13) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।
(14) वित्त नियंत्रक, उत्तरांचल, देहरादून।
(15) वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
(16) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव